

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

प्रकरण संख्या : 102/2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/120

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बांसवाड़ा (राज)

बनाम

श्री इरफान मिर्जा पुत्र श्री इदरीस मिर्जा
निवासी ग्राउण्ड फ्लोर, राजेश्वर कम्पाउण्ड,
अपोजिट कुशलबाग, बांसवाड़ा (विक्रेता/
मालिक) मैसर्स ब्लेक आउट बेकरी, ग्राउण्ड
फ्लोर, राजेश्वर कम्पाउण्ड, अपोजिट
कुशलबाग, बांसवाड़ा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 10-03-2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 11-11-2024 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 08-05-2024 को दौराने गश्त 3.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स ब्लेक आउट बेकरी, ग्राउण्ड फ्लोर, राजेश्वर कम्पाउण्ड, अपोजिट कुशलबाग, बांसवाड़ा पर पहुंचा तो वहाँ पर श्री इरफान मिर्जा पुत्र श्री इदरीस मिर्जा मिले। विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्स ब्लेक आउट बेकरी, ग्राउण्ड फ्लोर, राजेश्वर कम्पाउण्ड, अपोजिट कुशलबाग, बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर परिसर में केक (लूज) एक शो केज में 900 ग्राम विक्रय हेतु रखा था। जिसको एफ.एस.एस.ए. 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नहीं होने का शक हुआ। शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए केक (लूज) 900 ग्राम वास्ते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 700/- रु. विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा केक (लूज) 900 ग्राम को चार साफ सुखे एवं खाली प्लास्टिक के जारो में डालकर उनमें परीरक्षक फॉर्मलीन की 36-36 बूंदे प्रत्येक भाग में डालकर एयर टाईड ढक्कन बंद कर चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,


न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1817** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होंने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/251 दिनांक 30-05-2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 588 दिनांक 23-05-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया केक (लूज) का नमूना कोड क्रमांक **W-1817** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। जिसकी सूचना विक्रेता/मालिक को दी गई। विक्रेता ने नमूने की पुनः जाँच हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। विक्रेता द्वारा Substandard पाया खाद्य पदार्थ केक (लूज) विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 12-11-2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणों को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक दिनांक 22.04.2025 को अप्रार्थी की ओर से श्री ग्रंथ जोशी अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ। दिनांक 15-12-2025 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जुर्म


न्याय निर्णय अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बॉसवाडा (राज.)

स्वीकरोक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पर लगे आरोप स्वीकार कर नरमी का रुख अपनाते हुए लोक अदालत की भावना निस्तारण हेतु निवेदन किया। आरोपी की ओर से अपराध स्वीकार कर लिया गया है अतः किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/251 दिनांक 30-05-2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 588 दिनांक 23-05-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया केक (लूज) का नमूना कोड क्रमांक **W-1817** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत Substandard पाया गया केक (लूज) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री इरफान मिर्जा पुत्र श्री इदरीस मिर्जा निवासी ग्राउण्ड फ्लोर, राजेश्वर कम्पाउण्ड, अपोजिट कुशलबाग, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स ब्लेक आउट बेकरी, ग्राउण्ड फ्लोर, राजेश्वर कम्पाउण्ड, अपोजिट कुशलबाग, बांसवाडा को रूपये 30,000/- (अक्षरे तीस हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 10-03-2026 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(राजीव द्विवेदी)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाडा (राज.)